Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 125-2024/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2024 (SRAVANA 23, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 अगस्त, 2024

विवादों का समाधान (वि.का स.) योजना

क्रमांक 4250 (CFMS)–प०पा०–4–2024/4746.—

भूमिका

अधिसूचना दिनांक 12.04.2001 के द्वारा हरियाणा मुर्राह भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल (पशुपालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का परिरक्षण तथा परिवर्धन) अधिनियम, 2001 बनाया गया था। अधिनियम, धारा 6 की उप धारा 1 के तहत दुग्ध प्लांट की दुग्ध अनुज्ञपत्र क्षमता पर समय–समय पर जारी अधिसूचना के तहत उपकर लगाने की शर्त निर्दिष्ट करती है। अधिनियम 2001 की धारा 6 की उप धारा 2 पठित सहित नियम 2002 की धारा 19 और 20 निर्दिष्ट करती है कि नियम 2002 के बिन्दु 3 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दुग्ध प्लांट त्रैमासिक आधार पर उपकर जमा करवायेगें।

हरियाणा मुर्राह भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल नियम 2002 के नियम 21 के उप नियम (1) के अनुसार दुग्ध उपकर का भुगतान न करने तथा दुग्ध उपकर तथा दण्ड राशि, यदि कोई हैं की मूल राशि के विलंबित भुगतान पर 2 प्रतिशत प्रतिमास चक्रवृद्धि ब्याज लगाए जाने के कारण दुग्ध संयंत्रो पर उपकर और ब्याज की बकाया राशि समय बीतने के साथ बढ़ती जा रही है। इस प्रकार ब्याज की पर्याप्त राशि के कारण उनकी देनदारियां काफी बढ़ गई हैं और इससे दूध संयंत्रो के लिए बैंकों से कार्यशील पूंजी प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है और उन्हें बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दुग्ध संयत्रों द्वारा दुग्ध उपकर का दिनांक 31.07.2024 तक देय भुगतान न करने के कारण **'विवादों का समाधान'** (**वि.का स.**) योजना लागू की जा रही है।

परिभाषा

(क) इस योजना के प्रयोजन के लिए पात्र दुग्ध संयंत्र का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं/कंपनियो से है जो दुग्ध प्रसंस्करण इकाई का संचालन करते हैं, जो 2001 के उपर्युक्त अधिनियम के तहत अपने बकाया दुग्ध उपकर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं और जो दुग्ध संयंत्रो के संबंध में इस विवादो का समाधान योजना के नियमों और शर्तो को पूरा करते हैं, जो 31 जुलाई, 2024 तक दुग्ध उपकर तथा दण्ड राशि, यदि कोई हैं के भुगतान में चूककर्ता हैं।

(ख) संपर्क व्यक्ति का तात्पर्य दूध संयंत्र के अधिकृत व्यक्ति द्वारा विवादों का समाधान योजना के संबंध में संचार के लिए नामित व्यक्ति से है।

(ग) किसी भी संदेह/भ्रम को दूर करने के लिए वि. का स. के लिए समिति बनाई गई है जैसा कि नीचे बताया गया हैं।

(घ) इस उद्देश्य के लिए प्रबन्ध निदेशक, एच.एल.डी.बी, के द्वारा दुग्ध उपकर वि. का स. के नाम से एक विशेष बैंक खाता खोला जाएगा।

(ड) इस योजना के अंतर्गत परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो 2001 कें उपर्युक्त अधिनियम में दिया गया है।

(च) यदि किसी दुग्ध संयंत्र या इकाई ने 'विवादों का समाधान' योजना का लाभ नहीं लिया है तो डिफॉल्टर दुग्ध संयंत्र/इकाई को हरियाणा मुर्रा भैंस एवं अन्य दुधारू पशु नस्ल नियम, 2002 के नियम 21 (1) के तहत 2 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज की दर से देयता का भुगतान करना होगा।

एकमुश्त निपटान योजना का संक्षिप्त इतिहास

सरकार ने राज्य में दुग्ध संयंत्रो पर लगाए गए दुग्ध उपकर की पिछली बकाया राशि का निपटान करने के लिए 'एकमुश्त समाधान योजना' शुरू की, ताकि पुराने लंबित मुद्दो को हल किया जा सके और साथ ही दुग्ध प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। ओ.टी.एस योजना को हरियाणा सरकार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4719(CFMS)–प0पा0–4–2019/9114 के तहत 10.09.2019 को अधिसूचित किया गया। चूककर्ता संस्थाओं को ओ.टी.एस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए दूध उपकर की लंबित मूल राशि को 12 प्रतिशत (चूक की तिथि से) की दर से गणना किए गए साधारण ब्याज के साथ भुगतान करने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया था। यह प्रस्ताव किया गया कि देय राशि का 50 प्रतिशत (मूलधन और ब्याज) संबंधित कंपनी द्वारा 60 दिनों के भीतर चुकाया जाएगा और शेष राशि का भुगतान उसके बाद छह महीने के भीतर किया जा सकता है। ओ.टी.एस योजना को सरकारी अधिसूचना संख्या 2468 (CFMS)–प0पा0–4–2021/5987 दिनांक 14.09.2021 के माध्यम से फिर से संशोधित किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि उन दुग्ध संयंत्रों सहित चूक राशि पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के बजाया 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया जाएगा, जिन्होनें पहले ही एकमुश्त निपटान योजना का लाभ उठाया हैं। विभिन्न दूध संयंत्रो से प्राप्त ज्ञापनों, जिनमें कोविड–19 एवं अन्य कारणों से वित्तीय संकट का उल्लेख किया गया था, के कारण ओ.टी.एस योजना का छह बार अर्थात 13 जनवरी 2020, 16 मार्च 2020, 30 सितंबर 2020, 30 नंबर 2020, 31 मार्च 2021 एवं 30 सितंबर 2021 तक आगे बढाया गया ।

विवादो का समाधान (वि.का स.) योजना के उद्देश्य तथा क्षेत्र

जनहित को ध्यान में रखते हुये संयंत्रों को कार्यशील पूंजी सीमा का लाभ उठाने और अधिकतम संभव क्षमता पर चलने तथा इस प्रकार राज्य के किसानों से अधिक दूध खरीदने में सहायता करने के इरादे से राज्य सरकार ने विवादों का समाधान योजना तैयार करने और उसे लागू करने का सचेत निर्णय लिया है, ताकि चूककर्ता दूध संयंत्रों को स्वेच्छा से आगे आने और नियमों में प्रावधानित मासिक चक्रवृद्धि ब्याज लगाने से छूट प्राप्त करने के लिए उचित साधारण ब्याज के साथ दूध उपकर तथा दण्ड राशि, यदि कोई हैं बकाया का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वि.का स. योजना राज्य के दुग्ध संयंत्रों के लिए एक सीमित समय का अवसर होगी, जिससे उन्हें अपने परिचालन की शुरूआत से लेकर 31 जुलाई, 20214 तक की अवधि से संबंधित देयताओं को पूरा करने और उपकर के बकाया भुगतान का निपटान करने में मदद मिलेगी।

वि. का स. योजना के तहत भुगतान के लिए निपटान फॉर्मूला और समय सीमा

(क) चूककर्ता संस्थाओं/कंपनियों/दूध संयंत्रों को 09.09.2001 से 09.07.2002 तक की अवधि अर्थात ''हरियाणा मुर्राह भैंस और अन्य दुधारू पशु नस्ल अधिनियम, 2001 की अधिसूचना की तिथि और 2001 के अधिनियम के तहत नियमों की अधिसूचना की तिथि के बीच की अवधि के लिए दूध उपकर के आरोपण से छूट/माफी के साथ दूध उपकर की लंबित (शेष) मूल राशि का भुगतान करने की अनुमति होगी।

(ख) चूककर्ता संस्थाओं/कंपनियों/दुग्ध संयंत्रों को तत्काल योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दूध उपकर की लंबित (शेष) मूल राशि को 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष (चूक की तिथि से) की दर से गणना किए गए ब्याज तथा दण्ड राशि, यदि कोई हैं सहित चुकाने की अनुमति होगी।

(ग) यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस योजना के लिए पात्र होने के लिए इस देय राशि का कम से कम 50 प्रतिशत (मूलधन और 8 प्रतिशत ब्याज तथा दण्ड राशि, यदि कोई हैं) संबंधित कंपनी द्वारा योजना के प्रारंभ होने के 30 सितंबर, 2024 को या उससे पहले भुगतान किया जाना चाहिए और इसे योजना के लिए चयन माना जाएगा। शेष राशि का भुगतान अगले 2 महीनें के भीतर यानी 30 नवंबर, 2024 तक किया जाना चाहिए।

(घ) पहले से भुगतान की गई किसी भी राशि के लिए कोई वापसी या लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा, चाहे वह पूरी तरह से या आंशिक रूप से हो।

(ड) योजना में लेने वाली संस्था को दूध उपकर लगाने से संबंधित न्यायालय में लंबित किसी भी मुकदमे को वापस लेने के लिए हलफनामे के रूप में वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

आवेदन की प्रक्रिया

राज्य में सभी संस्थाओं/कंपनियों/दूध संयंत्रों को संबंधित प्राधिकारी द्वारा 31 जुलाई, 2024 तक बकाया राशि के बारे में सूचित किया जाएगा। इसके बाद उन्हें 'विवादो का समाधान' योजना को अपनाने के लिए आवेदन पत्र अनुबंध–I में दिए गए उचित प्रारूप में कुल उपकर को 50 प्रतिशत राशि ब्याज तथा दण्ड राशि, यदि कोई हैं सहित के साथ इस योजना के तहत गठित समिति को एक प्रति प्रबंध निदेशक, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, पंचकूला के कार्यालय में और एक प्रति विभाग के प्रशासनिक सचिव को योजना के शुरू होने की तिथि 30 सितंबर, 2024 तक या उससे पहले प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि वि. का स. योजना के तहत निर्धारित है।

आवेदक को इस उद्देश्य के लिए खोले गए विशेष एच.एल.डी.बी खाते में 50 प्रतिशत बकाया राशि जमा करने के प्रमाण के साथ सभी प्रासंगिक कागजात जमा करने होगें। एच.एल.डी.बी खाते में बकाया राशि का 50 प्रतिशत जमा करने का प्रमाण उक्त योजना को अपनाने और इसकी शर्तों को स्वीकार करने की इच्छा का पर्याप्त प्रमाण होगा।

वि. का स. योजना के लिए समिति

वि. का स. योजना के लिए दस्तावेजों के सत्यापन हेतु समिति निम्नानुसार होगी (अध्यक्ष सहित कोरम कोई भी पांच होगा) :

1. प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, हरियाणा, पंचकूला।
2. उप निदेशक, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, हरियाणा, पंचकूला (संबंधित)।
3. पशुचिकित्सक, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, हरियाणा, पंचकूला (संबंधित)।
4. लेखा अधिकारी कार्यालय महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग, हरियाणा, पंचकूला।
5. कानून अधिकारी, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, हरियाणा, पंचकूला।

नियम व शर्ते

i दुग्ध संयंत्रों द्वारा लंबित मामलों को वापस लेना कोई भी संस्था/कंपनी/दुग्ध संयंत्र, जो वि. का स. योजना का विकल्प चुनता है और उसका लाभ उठाने का इच्छुक है, को एक हलफानामा देकर और शीघ्र सुनवाई का आवेदन देकर मामले का वापस लेना आवश्यक है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि वह अपील, रिट याचिका जैसे सभी मामलों और 2001 के उपर्युक्त अधिनियम के तहत उपकर और ब्याज के औचित्य, मात्रा और देयता से संबंधित सभी अन्य मामलों से संबंधित मामलों को वापस ले रहा है, जो किसी भी प्राधिकरण या भारत के किसी भी माननीय न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित हैं।

ii लाभार्थी दूध संयंत्र/संस्था/कंपनी द्वारा उपकर की देयता, औचित्य और ब्याज से संबंधित न्यायालयीन मामलों को वापस लेने में विफल रहने की स्थिति में, कार्यवाही को कानून के अनुसार अंतिम रूप दिया जाएगा और ब्याज की छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी। तत्काल योजना के तहत जमा की गई राशि को बकाया राशि के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा जैसे कि वि. का स. का कभी लाभ नहीं उठाया गया हो।

iii 31 जुलाई, 2024 तक वि. का स. के लिए प्रस्तावित शेष राशि पर 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज लगाया जाना अंतिम निपटान की तिथि तक जारी रहेगा। वर्तमान अवधि के लिए सामान्य उपकर का भुगतान अलग से किया जाएगा, साथ ही यदि कोई ब्याज है, तो उसे समय पर भुगतान नहीं किया जाएगा।

iv इसके अलावा यदि गणना में कोई त्रुटि आदि हो तो दूध संयंत्र को सही राशि का भुगतान करने पर सहमत होना होगा।

अन्य नियम व शर्ते

(क) वि. का स. योजना केवल उन आवेदन दूध संयंत्र प्रबंधनों पर लागू होगी, जो यह आश्वासन देते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करेंगे कि वे निपटान की तारीख से आगले पांच वर्षो की अवधि के दौरान बिना किसी चूक या रूकावट के लगातार उपकर, ब्याज और जुर्माना (यदि कोई हो) का भुगतान करेंगे।

(ख) यदि वि. का स. राशि निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो वि. का स. योजना के तहत लाभ चूककर्ता के रूप में वापस ले लिया जाएगा और जमा की गई राशि दूध संयंत्र के ब्याज बकाया में समायोजित की जाएगी और परिणामस्वरूप, उपकर और ब्याज का भुगतान न करने के कारण अन्य सभी लाभ भी वापस ले लिए जाएंगे।

वि. का स. योजना की शर्तो का पालन न करना

निपटाए गए बकाए के भुगतान में चूक और निपटान की अन्य शर्तो का पालन न करने की स्थिति में, हरियाणा पशुधन विकास बोार्ड निपटान से पहले की बकाया राशि, उस पर भविष्य के ब्याज सहित वसूलने का विशेष अधिकार सुरक्षित रखेगा, मानो उक्त संयंत्र द्वारा वि. का स. का कभी लाभ नहीं उठाया गया हो।

संदेह दूर करना

(i) इस योजना में निहित किसी भी बात को किसी भी इकाई/दूध संयंत्र/कंपनी को इस योजना के तहत दिए गए लाभों, रियायतों या प्रतिरक्षा के अलावा कोई लाभ, रियायत या प्रतिरक्षा प्रदान करने के रूप में नहीं समझा जाएगा।

(ii) इस योजना से उत्पन्न किसी भी अस्पष्टता या विवाद के मामले में, वि. का स. समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(iii) दुग्ध संयंत्र इस योजना की अवधि के दौरान और उसके बाद भी पहले की तरह नियमित उपकर जमा करना जारी रखेंगे और उस राशि को विवादों का समाधान योजना के साथ नहीं मिलाया जाएगा।

(iv) यदि इस योजना का लाभार्थी अभी भी इस योजना के तहत उपकर के भुगतान और संबंधि मामलों के संबंध में वि. का स. के लिए समिति के निर्णय से असंतुष्ट महसूस करता है, तो वह पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा के प्रशासनिक सचिव के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

समापन खंड

योजना के अंतर्गत शामिल नियम एवं शर्तों को लाभार्थी को इस नीति का लाभ उठाने के लिए आवेदन करते समय स्वेच्छा से स्वीकार करना होगा। नियम एवं शर्तों को स्वीकार करने की कोई बाध्यता नहीं है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड और वि. का स. समिति को तत्काल विवादों का समाधान योजना के संचालन के दौरान किसी भी समय किसी भी खंड या संपूर्ण नीति में परिवर्तन/संशोधन/सुधार करने का पूर्ण अधिकार होगा और पशुपालन एंव डेयरी विभाग, हरियाणा के प्रशासनिक सचिव की पूर्व स्वीकृति से किसी भी समय तत्काल नीति को रद्द करने का भी पूर्ण अधिकार होगा। यहा योजना नीति की अधिसूचना की तिथि से 30 सितंबर, 2024 तक और उसके 2 महीने बाद यानी 30 नवंबर, 2024 तक मानी जाएगी।

डा0 राजा सेखर वंदुरू,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING DEPARTMENT

Notification

The 14th August, 2024

VIVADON KA SAMADHAN (VKS) SCHEME

No. 4250 (CFMS)-AH-4-2024/4746.—

INTRODUCTION

Vide notification dated 12.04.2001, the Legislature of State of Haryana had enacted the Act, namely, *The Haryana Murrah Buffalo & Other Milch Animal Breed (Preservation & Development of Animal Husbandry & Dairy Development Sector) Act, 2001'.* Section 6(1) of the Murrah Act, 2001 empowers the State Government to impose cess upon the license capacity of milk plants and as per Sub-section 2 of Section 6 of the Act read with Rules, 19 and 20 of the Murrah Rules, 2002, the milk plants are required to make payment of cess, on quarterly basis, as per the procedure prescribed under Clause 3 of Rule 19 of 2002 Rules.

The outstanding amount of cess and interest including penalty qua the milk plants is burgeoning with passage of time and due to the non-payment of cess and the monthly compounded 2% p.m. interest imposed on the delayed payment of principal amount of cess, in accordance with rule 21(1) of *Haryana Murrah Buffalo & Other Milch Animal Breed Rules, 2002*. Thus their liabilities have enhanced considerably because of substantial amount of interest and this is making it difficult for the milk plants to get working capital from the banks and pushing them into closure. The **'Vivadon Ka Samadhan'** (VKS) Scheme is introduced in respect of Milk Plants who are in default for the payment of Milk Cess as on 31 July, 2024.

DEFINITIONS

(a) For the purpose of this scheme the **Eligible Milk Plant** means any person or entities/companies operating the milk processing unit who is liable to pay its outstanding dues under the aforementioned Act of 2001 and who fulfils the terms and conditions of this 'Vivadon Ka Samadhan' Scheme in respect of Milk Plants who are in default for the payment of Milk Cess including penalty, if any as on 31 July, 2024.

(b) **Contact person** means the person named by the Authorized person of the Milk Plant for communication regarding Vivadon Ka Samadhan Scheme.

(c) **Committee for VKS scheme** has been made to resolve any doubts/confusion as explained below.

(d) A special Bank account in the name of **MD, HLDB, Milk Cess (VKS)** would be opened for this purpose.

(e) Words and Expressions not defined under this scheme shall have the same meaning as given in the aforementioned Act of 2001.

BRIEF HISTORY OF ONE TIME SETTLEMENT SCHEME

The Government introduced **"One-Time Settlement Scheme"** to settle the past dues of Milk Cess levied on milk plants in the State in order to resolve old pending issues as well as to give a fillip to the milk processing industry. The OTS scheme was notified in the Haryana Government Gazette vide notification no. 4719/CFMS/AH-4-2019/9114 on 10.09.2019. The defaulter entities were proposed to be permitted to pay the pending principal amount of Milk Cess due along with simple interest calculated @ 12% (from the date of default) for receiving the benefits under the OTS scheme. It was proposed that 50% of amount due (principal and interest) shall be paid by the company/plant concerned within 60 days and the balance may be paid within six months thereafter. The OTS scheme was again revised vide Govt. notification no. 2468 (CFMS)-AH- 4- 2021/5987 dated 14th September, 2021 wherein, it has been decided that an interest @ 8% per annum be charged instead of 12% per annum on defaulting amount including those milk plants who have already availed the One Time Settlement Scheme. The OTS scheme was further extended six times i.e. up to **13th Jan 2020, 16th March 2020, 30th September 2020, 30th November, 2020, 31st March 2021 and 30th September, 2021** due to representations received from various milk plants mentioning therein about financial crunch, due to COVID-19 & other reasons.

PURPOSE & SCOPE OF VIVADON KA SAMADHAN (VKS) SCHEME

Keeping in view the public interest at large with an intent to help plants avail working capital limits and run on maximum possible capacity and thus procure more milk from the farmers of the State, the State Government has taken a conscious decision to formulate and introduce a**Vivadon Ka Samadhan Scheme** to encourage the defaulter milk plants to come forward voluntarily and pay the Milk Cess dues including penalty, if any with reasonable simple interest to get immunity from the imposition of monthly compounded interest as provided in the rules. The **VKS Scheme** would be a limited-time opportunity to the Milk Plants of the State enabling them to clear the liability and settle payment of outstanding cess pertaining to period from the very beginning of their operations till 31st July, 2024.

SETTLEMENT FORMULA & TIMELINE FOR PAYMENT UNDER VKS SCHEME

(a) The defaulter entities/companies/milk plants would be permitted to pay the pending (balance) principal amount of milk cess with the Waiver/Exemption from the levy of Milk Cess for the period 09.09.2001 to 09.07.2002 i.e. the period between the date of notification of the 'Haryana Murrah Buffalo and other Milch Animal Breed Act, 2001 and date of notification of the rules under the Act of 2001.

(b) The defaulter entities/companies/milk plants would be permitted to pay the pending (balance) principal amount of milk cess due including penalty, if any along with interest calculated @ 8% per annum (from the date of default), for availing the benefits of the instant scheme.

(c) It is further to be noted that to be eligible for the scheme at least 50% of this amount due (principal & @ 8% interest including penalty, if any) shall be paid by the company/ plant concerned on or before 30th September, 2024 of the commencement of the scheme and this shall be construed as opting for the scheme. The balance should be paid within next 2 months i.e. upto 30th November, 2024.

(d) No refund or benefit shall be provided for any amount that already stand has been paid, fully or partially.

(e) The entity participating in the Scheme shall submit an undertaking in the form of an affidavit for withdrawing any litigation pending in a Court of Law, if any, relating to the levy of milk cess.

(f) If any Milk Plant or Unit did not adopt the benefit of 'Vivadon Ka Samadhan' scheme then the defaulter milk plant/unit will be liable to pay the liability @ 2% interest per month under Rule 21 (1) of the Haryana Murrah Buffalo & Other Milch Animal Breed Rules, 2002.

PROCEDURE OF APPLICATION

All the entities/ companies/ milk plants in the state shall be informed by the concerned authority about the amount outstanding as on 31st July, 2024. Thereafter they are required to submit the application for adoption of 'Vivadon Ka Samadhan' scheme in the proper format as Annexed at Annexure-I along with 50% of the amount of total cess, penalty and interest with a copy to the Committee constituted under this scheme in the office of Managing Director, Haryana Livestock Development Board, Panchkula alongwith a copy to Administrative Secretary of the Department on or before 30th September, 2024 of commencement of the scheme as prescribed under the VKS Scheme.

The applicant shall deposit all the relevant papers along with proof of depositing the 50% dues in the special HLDB account opened for this purpose. The proof of depositing of 50% of the dues in the HLDB account shall be sufficient proof of willingness to adopt the said scheme and accepting it's conditions.

COMMITTEE for VKS Scheme

The **Committee for VKS Scheme** to verify the documents shall be as follows (quorum, including the Chairman, shallbe any five):

1. Managing Director, Haryana Livestock Development Board, Haryana, Panchkula.
2. Deputy Director, Haryana Livestock Development Board, Haryana, Panchkula (Concerned)
3. Veterinary Surgeon, Haryana Livestock Development Board, Haryana, Panchkula (Concerned)
4. Account Officer O/o Director General, Animal Husbandry & Dairying Department, Haryana, Panchkula.
5. Law Officer, Haryana Livestock Development Board, Haryana, Panchkula

TERMS & CONDITIONS

i. WITHDRAWAL OF PENDING CASES by the MILK PLANTS - Any entity/company/milk plant, who opts for the VKS scheme and is willing to avail the benefitsthereof, is required to withdraw by giving an Affidavit and making an application of early hearing clearly stating that it is withdrawing the cases pertaining to all cases such as appeals, writ petitions and all other cases, pertaining to justification, quantum and liability of cess and interest under the aforementioned Act of 2001, pending adjudication before any authority or anyHon'ble Court of Law in India.

ii. In the event of failure of beneficiary milk plant/entity/company to withdraw the court cases, pertaining to the liability of the cess, is justification and interest, the proceedings would be finalized, in accordance with law and the waiver of interest shall not be allowed. The amount deposited under the instant scheme will be adjusted against the dues accordingly as if the VKS had never been availed.

iii. Levy of Interest @ 8% annually will continue the balance amount offered for VKS as on 31st July, 2024 till the date of final settlement. The normal cess for current period will be separately paid, along with interest if any, if not paid on time.

iv. Also in case there is some calculation error etc. the milk plant shall agree to pay the corrected amount.

OTHER TERMS & CONDITIONS

(a) The VKS Scheme will be applicable only qua the applicant milk plants managements, who undertake to furnish an affidavit assuring that they would make payment of cess, interest and penalty (if any) consistently, without any default or break; **during the duration of next five years from the date of settlement**.

(b) If the VKS amount is not paid within the schedule stipulated, then the benefit under VKS Scheme shall stand withdrawn qua the defaulter and the amount so deposited shall be adjusted in the interest dues of the milk plant and resultantly, all other benefits also would be withdrawn on account of non-payment of cess and interest.

NON COMPLIANCE OF VKS SCHEME TERMS

In case of default in payment of settled dues and non-compliance of other terms and conditions of settlement, the Haryana Livestock Development Board would reserve the exclusive right to recover the dues, as existed prior to the settlement, alongwith future interest thereon as if the VKS had never been availed by the said plant.

REMOVAL OF DOUBTS

(i) Nothing contained in this scheme shall be constructed as conferring any benefit, concession or immunity upon any entity/ milk plant/ company, other than the benefits, concessions or immunity granted under the scheme.

(ii) In case of any ambiguity or dispute arising out of this scheme, the decision of Committee for VKS thereon shall be final.

(iii) The Milk Plant shall continue to deposit the routine cess as before during the period of this scheme and afterwards and that amount shall not be mixed with the Vivadon Ka Samadhan Scheme.

(iv) In case, the beneficiary of this scheme still feels aggrieved by the decision of the Committee for VKS with regard to the payment of cess and related matters under this scheme, could file an appeal before the Administrative Secretary of Animal Husbandry and Dairying Department, Haryana.

CONCLUDING CLAUSE

The terms and conditions incorporated under the Scheme shall have to be accepted voluntarily by the beneficiary, while applying to avail the benefit of this policy. There is no compulsion to accept the terms and conditions. The Haryana Livestock Development Board and Committee for VKS shall have absolute right to change/modify/ improve upon any clause or entire policy during operation of the instant Vivadon Ka Samadhan Scheme, at anypoint of time and shall also have the absolute right to cancel the instant policy at any time with the prior approval of Administrative Secretary of Animal Husbandry and Dairying Department, Haryana. **This scheme shall be deemed to have commenced from the date of notification of the scheme upto 30th September, 2024 and 2 months thereafter i.e. upto 30th November, 2024**.

DR. RAJA SEKHAR VUNDRU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Animal Husbandry and Dairying Department.

Annexure –I

APPLICATION FOR ACCEPTANCE OF VIVADON KA SAMADHAN SCHEME

From

_____
_____
_____

To

The Chairman

Vivadon ka Samadhan Committee,

O/o Haryana Livestock Development Board,

Bay No. 9-12, Pashudhan Bhawan, Panchkula (Haryana)

e-mail ID hldb-hry@nic.in Ph. 0172-

Subject: For Availing benefit under Vivadon Ka Samadhan Scheme.

Sir,

I,_____S/o _____ R/o_____Partner/Director/Proprietor of _____ who is the registered owner of the Milk Plant namely_____ located at____and having been duly authorized for the purpose of adopting 'Vivadon ka Samadhan' scheme of Government of Haryana through Haryana Livestock Development Board bring out here under:

That our Contact person for the sake of this 'Vivadon ka Samadhan' scheme shall be: _____S/o_____Mob._____ E-mail _____

That the pending dues of Milk Cess is defaulted due to the following reasons:

1. _____
2. _____

That I/we intend to settle the outstanding liabilities of Milk Cess upto 31.07.2024 under "**Vivadon Ka Samadhan" Scheme** offered by Haryana State Govt. through HLDB. I/we undertake to abide by the terms and conditions of the "Vivadon Ka Samadhan" Scheme. An Affidavit regarding withdrawal of all Court cases pending the any court of law against HaryanaGovt./ HLDB in this regard is attached along with this application.

That the Cess amount calculations as on 31.07.2024 as per VKS Scheme are as following : -

1.	Principal amount calculated from 10.07.2002 of cess & penalty if any:	Rs.
2.	Simple Interest @8 per annum calculated from 10.07.2002:	Rs.
3.	Total of calculations of (1) + (2):	Rs.
4.	Amount already deposited upto 31.07.2024:	Rs.
5.	Balance amount to be paid (3) – (4):-	Rs.
6.	50 % of Amount to be Deposited at the time of application :	Rs.
7.	50% of the Balance Amount to be deposited upto 30.11.2024:	Rs.

That I/we have **paid** 50 % of the Balance amount *i.e.* Rs._____under ' Vivadon Ka Samadhan' scheme for the settlement of pending dues of Milk cess as on _____by way of

DD/RTGS No.__on date_____. (Proof/Receipt enclosed). I shall arrange to pay the balance 50 % amount to be deposited upto 31.11.2024 as per the "**Vivadon Ka Samadhan" Scheme** as per schedule given below:

DATE	AMOUNT

That I/we understand that in case of non-payment of dues as per above schedule: I /we shall not remain eligible to avail the benefit of "**Vivadon Ka Samadhan" Scheme**. That in case there is some calculation error etc. I/we shall agree to pay the corrected amount.

Yours faithfully,

Place:

Date: (Name & Seal)

CHECK LIST OF ITEMS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION:

1. Ownership proof/partnership deed etc.
2. Authorization by the Company of the signatory to the application
3. Proof of payment of 50% amount
4. Affidavit of withdrawal of court case.

11241—C.S.—H.G.P., Pkl.